न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 16/22 (225)

आरसीएमएस संख्या – 2022/37

उनवान

1. कल्लो पत्नी रामजीलाल
2. बलराम } पिसरान रामजीलाल
3. सतीश
4. सन्तराम
5. सादराम
6. फूलवती पत्नी यादराम
7. लखन } पिसरान यादराम
8. प्रदीप
9. अनीता } पुत्रीयान यादराम
10. सुमन

जाति जाटव निवासी कैथवाडा तहसील पहाडी जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. अयूब } पिसरान कल्लू जाति मेवा निवासी कैथवाडा तह0 पहाडी जिला भरतपुर।
2. ईशब
3. मुरसलीम
4. रज्जो पत्नी कल्लू जाति मेव निवासी कैथवाडा तहसील पहाडी जिला भरतपुर।
5. श्रीमान् तहसीलदार एवं उप पंजीयक पहाडी जिला भरतपुर।

.....रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी दिनांक 20.02.2022 प्रकरण संख्या 121/21 उनवान कल्लो बनाम अयूब आदि।

उपस्थित :–

1. श्री महाराज सिंह डागुर अभिभाषक अपीलाण्ट।
2. श्री हनुमान प्रसाद गोयल अभिभाषक रैस्पो0।

निर्णय **दिनांक :–21.02.2024**

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, पहाडी के आदेश दिनांक 20.02.2022 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलाण्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम कैथवाडा तहसील पहाडी जिला भरतपुर में स्थित है। विवादित आराजी पूर्व में प्रार्थी के दादा/ससुर हसमल पुत्र भूरमल के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

थी जिस पर प्रार्थीगण के दादा/ससुर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही कब्जा काश्त खातेदार के रूप में काश्त करते रहे। प्रार्थीगण के पिता/पति रामजीलाल की मृत्यु प्रार्थीगण के दादा/ससुर हसमल के जीवनकाल में ही हो गयी थी। उसके बाद प्रार्थीगण के दादा/ससुर की भी मृत्यु हो गयी। मृत्यु बाद जो विरासत का दाखिला खारिज जमाबन्दी संवत 2055 से 2058 में दर्ज किया गया तभी से विवादित आराजी पर प्रार्थीगण बतौर खातेदार काश्तकार कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण मजदूरी पर घर से बाहर चले जात हैं एवं अप्रार्थीगण को विवादित आराजी पर काश्त पर बता देते हैं। जिसका फायदा एवं राजस्व कर्मचारियों से साज कर अप्रार्थीगण ने विवादित आराजी को सिवायचक कस्टोडियन दाखिल खारिज संख्या 1088 दिनांक 30.07.2003 को दर्ज करवा दिया। प्रार्थी अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं उनकी खातेदारी की उक्त आराजी को अन्य पिछला वर्ग मेव जाति के व्यक्तियों के नाम दाखिल खारिज संख्या 1141 दिनांक 05.11.2003 को अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गयी, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के अन्तर्गत निषिद है तथा कानूनी प्रावधानो के विपरीत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 व तहत पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिले खारिजी है। विवादित आराजी पूर्व में अपीलाण्ट के पूर्व पुरूष हसमल पुत्र भूरमल के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी जिस पर अपीलाण्ट के पूर्व पुरूष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही कब्जा काश्त खातेदार के रूप में काश्त करते रहे। अपीलाण्ट के पिता/पति रामजीलाल की मृत्यु अपीलाण्ट के पूर्व पुरूष हसमल के जीवनकाल में ही हो गयी थी। उसके बाद हसमल की भी मृत्यु हो गयी। मृत्यु बाद जो विरासत का दाखिला खारिज जमाबन्दी संवत 2055 से 2058 में दर्ज किया गया वह अपीलाण्ट के नाम से हुआ। तभी से विवादित आराजी पर अपीलाण्ट बतौर खातेदार काश्तकार कब्जा काश्त चला आ रहा है। परन्तु रैस्पो0 ने राजस्व कर्मचारियों से साज कर विवादित आराजी को सिवायचक कस्टोडियन दाखिल खारिज संख्या 1088 दिनांक 30.07.2003 से दर्ज करवा दिया एवं बाद में दाखिल खारिज संख्या 1141 दिनांक 05.11.2003 से विवादित आराजी रैस्पो0 ने अपने नाम गैर खातेदारी के इंद्राज करा लिये। रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है फिर भी बिना आधार रैस्पो0 ने विवादित आराजी अपने नाम करा ली रैस्पो0 के पास कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी नहीं है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में भूल की है। पुराने रिकार्ड के आधार पर अपीलाण्ट का प्रथम दृष्टया प्रकरण बनता है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पुराने रिकार्ड का कोई विवेचन अपीलाधीन आदेश में नहीं किया। प्रकरण धारा 42 राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अधिनियम 1955 से भी बाधित है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। वर्तमान में विवादित आराजी पर रैस्पो0 बतौर गैर खातेदार दर्ज अभिलेख हैं। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कोई कब्जा काश्त नहीं है बल्कि रैस्पो0 का कब्जा काश्त है। अपीलाण्ट स्वयं अपने प्रार्थना पत्र की मद संख्या 04 में यह स्वीकारते हैं कि वह मजदूरी करने बाहर चले जाते थें एवं काश्त हेतु विवादित आराजी को रैस्पो0 को बता देते थे। पूर्व का रिकार्ड अस्थाई निषेधाज्ञा में देखा जाना जरूरी नहीं है। दावे में देखा जावेगा। विवादित आराजी पर रैस्पो0 का कब्जा काश्त एवं गैर खातेदारी के इन्द्राज होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलाण्ट के पक्ष में ना होकर रैस्पो0 के पक्ष में साबित होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओ पर विवेचना की जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2018(2) पेज 1202, 1524 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

5. हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी संवत 2051–54, 2043–46 में विवादित आराजी पर हसमल पुत्र भूरमल कौम जाटव साकिन देह गैर खातेदार दर्ज हैं एव हसमल की मृत्यु उपरान्त जमाबन्दी संवत 2055–58 की जमाबन्दी में हसमल के स्थान पर अपीलाण्ट के नाम विरासत का दाखिला खुलने के बाद नाम दर्ज हैं। परन्तु बाद में उक्त इन्द्राज कैसे एवं किस आदेश से विलोपित हुये, कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी साविक रिकार्ड में दर्ज इन्द्राजो की कोई विवेचना अपीलाधीन आदेश में नहीं की है। साविक रिकार्ड में अपीलांण्ट व उनके पूर्व पुरुष के नाम दर्ज होने से प्रथम दृष्टया मामला अपीलाण्ट के पक्ष में बनता है। यदि दौराने वाद विवादित आराजी की सुरक्षा नहीं की गयी, तो अपीलाण्ट को अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। रिकार्ड व मौके की यथास्थिति सुविधा संतुलन को पुष्ट करती है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पहाडी के आदेश दिनांक 22.02.2022 निरस्त किये जाकर ताफैसला मूलवाद विवादित आराजी के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु रैस्पो0 को पाबन्द किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 21.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21-02-2024

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर